राज्य महिला आयोग गंभीर प्राथमिकी के निर्देश

◆ सक्षम एजेंसी से कराई जाए मामले की जांच : कहकशां परवीन

पटना, कार्यालय संवाददाता : राज्य महिला आयोग ने बीते शनिवार को सड़क पर बच्ची को जन्म देने वाली विक्षिप्त महिला से जुड़े पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए इसकी जांच, किसी सक्षम एजेंसी से कराये जाने का निर्देश दिया है। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।

आयोग की अध्यक्ष कहकशां परवीन ने बुधवार को पुलिस महानिदेशक को पत्र लिख कर इस मामले के गुनाहगारों की पहचान करा, उनके खिलाफ अपहरण और बलात्कार की प्राथमिकी दर्ज कराने का निदेश दिया है।

उन्होंने पुलिस महानिदेशक को लिखा है- मीडिया के माध्यम से आयोग को लगातार यह सूचना मिल रही है कि खुले स्थान में बच्ची को जन्म देने वाली यह

महिला स्थानीय लोगों के प्रयास से अस्पताल पहुंचाई गयी। अभी तक यह बात सामने नहीं आ सकी है कि उक्त महिला को अगवा कर किन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसको सामने लाना अति आवश्यक है।